

निदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

सेवा में

हरियाणा राज्य में सभी विभागाध्यक्ष ।
हरियाणा राज्य में सभी आयुक्त एवं उपायुक्त ।
हरियाणा राज्य में सभी निगमों/बोर्डों के प्रबन्धक निदेशक/मुख्य
प्रशासक ।

यादी क्रमांक -टीए-हर-4टी-2023/
दिनांक:

विषय

मुख्य सचिव हरियाणा सरकार की हिदायतें दिनांक 07.10.2023 अनुसार
ग्रुप-ए व बी में अनुसूचित जाति को पदोन्नति में 20 प्रतिशत अरक्षण देने
बारे ।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में ।

विषयाधीन मामले में आपको लिखा जाता है कि मुख्य सचिव हरियाणा
सरकार द्वारा जारी हिदायतें दिनांक 07.10.2023 अनुसार मुख्य लेखा अधिकारियों /
वरिष्ठ लेखा अधिकारियों / लेखा अधिकारियों / अनुभाग अधिकारियों का रोस्टर
रजिस्टर तैयार किया जाना है । आपके अधीन कार्यरत अनुसूचित जाति के मुख्य लेखा
अधिकारियों / वरिष्ठ लेखा अधिकारियों / लेखा अधिकारियों / अनुभाग अधिकारियों
से उनका जाति प्रमाण पत्र/सरकारी सेवा में प्रथम नियुक्ति पत्र/ सेवा पुरस्कार का
प्रथम पृष्ठ सम्बन्धित नोडल आफिसर से सत्यापित करवा कर इस विभाग की ई-मेल
आई डी treasuries@hry.nic.in पर संलग्न प्रोफार्मा में दिनांक 31.10.2023 तक
भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि मुख्य सचिव हरियाणा सरकार द्वारा जारी हिदायतानुसार
आगामी कार्यवाही की जा सके ।

हस्ता

संयुक्त निदेशक
कृते निदेशक खजाना तथा लेखा विभाग
हरियाणा चण्डीगढ़ ।

पृ० क्रमांक टीए-हर(4टी)-2023/12242 दिनांक 13/11/23

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
प्रेषित है:-

1. सभी नोडल अधिकारियों (एस०ए०एस० काडर) क्षेत्रीय कार्यालय को भेजते हुए लिखा
जाता है कि अपने-अपने जिला में कार्यरत सभी एस०ए०एस० काडर को सूचित करें

अधिकारी अनुसूचित जाति से सम्बन्धित है तो उनका जाति प्रमाण पत्र/सरकारी सेवा में प्रथम नियुक्ति पत्र/ सेवा पुस्तिका का प्रथम पृष्ठ सत्यापित करके ई-मेल आई डी treasuries@hry.nic.in पर दिनांक 31.10.2023 तक इस विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करें।

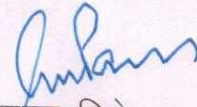
2. हरियाणा राज्य में कार्यरत सभी मुख्य लेखा अधिकारी / वरिष्ठ लेखा अधिकारी / लेखा अधिकारी / अनुभाग अधिकारी

8 Feb
संयुक्त निदेशक

कृते निदेशक खजाना तथा लेखा विभाग
हरियाणा चण्डीगढ़।

पृ० क्रमांक टीए-हर(4टी)-2023/12242 दिनांक 13/1/23

इसकी एक प्रति श्री सुनील बहल, प्रोग्रामर, खजाना तथा लेखा विभाग हरियाणा चण्डीगढ़ कार्यरत एन.आई.सी., हरियाणा सिविल सचिवालय को इस अनुरोध के साथ भेजी जाती है कि इसे विभाग की साईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।


संयुक्त निदेशक

कृते निदेशक खजाना तथा लेखा विभाग
हरियाणा चण्डीगढ़।

९

Detail of Section Officer (SAS Cadre)

[illegible]

Detail of Accounts Officer (SAS Cadre)

[illegible]

Detail of Senior Accounts Officer (SAS Cadre)

[illegible]

Detail of Chief Accounts Officer (SAS Cadre)

[illegible]